

13 MAR 2018

क्रमांक: प.1(66)नविवि/जोधपुर/2015

जयपुर, दिनांक

आदेश

भूमि आवंटन के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं भूमि आवंटन नीति 2015 के क्रम में राज्य सरकार के सक्षम से लिए गये निर्णयानुसार निम्न प्रकार आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार राजकीय विभागों/उपक्रमों के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसमें विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, जिसके स्थान पर अब संभाग/जिला मुख्यालय पर संबंधित विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।
- 2- भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या-2.9 के क्रम में जरूरत के मुताबिक शमशान/कब्रिस्तान के लिए 2000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास को राज्य सरकार की ओर से अधिकृत किया जाता है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 2-समस्त जिला कलक्टर
- 3-सचिव, जयपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर ।
- 4-सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक/एसपीए/सचिव/ 2017/ 1263-1271 दिनांक 11.10.2017 के क्रम में ।
- 5-समस्त नगरीय विकास न्यास.....
- 6-रक्षित पित्रावली

On 13/3/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम